न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

दावा संख्या :– 75/2023

कविताबाई पिता देराम जी जाति भील निवासी निलिया का माल तह0 बेगूँ

वादीया

बनाम

1 कन्हैयालाल पिता देराम जाति भील निवासी नीलिया का माल तह0 बेगूँ

2 कालीबाई पुत्री देराम जाति भील निवासी नीलिया का माल तह0 बेगूँ हा.मु. पति रतनलाल भील निवासी अमरथुना तह0 बेगूँ

3 नारूबाई पुत्री देराम जाति भील निवासी नीलिया का माल तह0 बेगूँहा.मु. पति जगदीशचन्द्र भील निवासी उमरथुना तह0 बेगूँ

4 जमनीबाई पत्नी स्व.देराम जी भील निवासी निलिया का माल तह0 बेगूँ

5 श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूँ

6 श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय प्रतिनिधि राजस्थान सरकार चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री अशोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता वादीया

निर्णय दिनांक ::– 22.05.2025

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीया का वादपत्र इस प्रकार से है कि ग्राम निलिया प.ह. माधोपुर तह0 बेगूँ में वादीया एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से लगाकर 3 तक की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात जमाबंदी सं. 2078 में दर्ज स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
4	22	0.7600
	23	0.9000
	24	0.7400
	25	0.9300
	कीता–4	कुलरकबा 3.3300 हैक्टर

यह कि वर्णित संयुक्त खातेदारी की आराजीयात में मुझ वादीया का 1/2 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तक का नाम से राजस्व जमाबंदी रेकार्ड में अंकितानुसार हक हिस्सा निहित है एवं प्रतिवादी सं0 4 जमनीबाई का स्वर्गवास हो चुका है एवं उसके विधिक वारिसान पूर्व से ही वादपत्र में पक्षकार के रूप में नाम अंकित किया गया है।

यह कि वादीया एवं प्रतिवादीगण 1 से 4 तक अपने नाम से अपने नाम अंकित हक हिस्से की भूमि पर मौके पर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है और लगान भी अदा करते आ रहे है लेकिन मौके पर एवं प्रतिवादी सं0 1 से 4 तक के मध्य विधिवत विभाजन नहीं होने के कारण आए दिन लगान जमा कराते समय भूमि की सीमा एवं विभाजन को लेकर विवाद होता रहता है। वादीया ने प्रतिवादीगण को दिनांक 15.05.2023 को तहसील में चलकर आपसी सहमति से भूमि का बंटवाडा कराने एवं खाता अलग कराने के लिए कहा लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा इंकार करने से वार कारण उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

यह कि वादीया ने प्रतिवादी सं0 1 से 3 तक को तहसील में चलकर खाता विभाजन कराने के लिए कहा तो उनके द्वारा इन्कार कर देने से यह वादपत्र वास्ते विभाजन घोषणा हेतु न्यायालय श्रीमान में पेश करने की आवश्यकता हुई है। वर्णित संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात में वादीया का 1/2 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0 1 से 4 तक का अपने नाम से राजस्व जमाबंदी रेकार्ड में अंकित हिस्सा अनुसार मौके पर कब्जे अनुसार एवं भूमि का मिट्स एण्ड

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौडगढ़)

…न्डस के आधार पर अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का विभाजन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

यह कि श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूं विभाजन के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से एवं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय राज्य सरकार के प्रतिनिधि होने से पक्षकार बनाए गये है।

अतः न्यायालय श्रीमान से निवेदन है कि वादीया के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न अनुतोष की डिक्री प्रदान कराई जावें :–

(अ) कि वादपत्र की कलम संख्या एक में अंकित मौजा निलिया प.ह. माधोपुर की संवत 2078 की राजस्व जमाबंदी की खाता संख्या 4 में वर्णित संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजी संख्या 22, 23, 24, 25 कीता–4 कुल रकबा 3.3300 हैक्टर भूमि में वादीया का 1/2 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0 1 से 4 तक का अपने नाम से राजस्व जमाबंदी रेकार्ड में अंकितानुसार हक हिस्सानुसार तथा मौके पर आपसी सहमति से मौखिक बंटवाडे एवं कब्जे अनुसार भूमि का मिट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के अनुसार भूमि का विभाजन किए जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति वादीया के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराई जावें।

(ख) कि बाद विभाजन वादीया का खाता अलग रूप सें राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने की आज्ञप्ति वादीया के पक्ष में प्रदान कराई जावें।

(ग) कि अन्य कोई अनुतोष सुलभ वादीया हो विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराया जावें।

(घ) कि वाद व्यय एवं अधिवक्ता शुल्क भी वादीया को प्रतिवादीगण से प्रदान कराया जावें।

वादीया का वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रकरण में प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गये। प्रकरण में एक तरफा साक्ष्य हेतु शपथ पत्र वादीया कविताबाई पत्नी शंभुलाल जी मीणा के प्रस्तुत किए गए, वादीया ने अपने साक्ष्य शपथ पत्र पर मुख्य परीक्षण करते हुए पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श कराते हुए अपने बयानों को कलमवद्ध कराये गये।

पत्रावली में साक्ष्य वादीया की पूर्ण होने के पश्चात अधिवक्ता वादीया की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस वादपत्र अनुसार करते हुए वर्णित आराजीयात का विधिवत बंटवाडा करा खाता पृथक पृथक किए जाने का निवेदन किया है। बहस अधिवक्ता वादीया की सुने जाने के पश्चात पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा नीलिया प0ह0 माधोपुर प्रदर्श–1 का अवलोकन किया गया, जिसमें अंकित आराजी संख्या 22, 23, 24, 25 कीता–4 कुल रकबा 3.3300 हैक्टर भूमि में वादीया का 1/2 हक हिस्सा व शेष प्रतिवादीगण का अंकित है, प्रदर्श–2 नक्शाट्रेस आराजी का है। प्रस्तुत जमाबंदी के अवलोकन से पाया जाता है कि वादीया अपने हिस्से की कृषि आराजीयात में 1/2 हिस्से विभाजन करा पाने की अधिकारी पाई जाती है। वादीया का वादपत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीया का अन्तर्गत धारा 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। मौजा नीलिया प0ह0 माधोपुर की आराजी संख्या 22, 23, 24, 25 कीता–4 कुल रकबा 3.3300 हैक्टर भूमि में वादीया का 1/2 हक हिस्सा व शेष हिस्सा प्रतिवादीगण जमाबंदी अनुसार रखते हुए कृषि भूमि का वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमि पर कब्जे अनुसार मिट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के अनुसार भूमि का विभाजन किए जाने हेतु तहसीलदार बेगूं को 1000रु/–रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार बेगूं को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त वर्णित आराजीयात का विभाजन प्रस्ताव वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य तैयार करते हुए मय नक्शाट्रेस के साथ विभाजन प्रस्ताव दो प्रति में न्यायालय में भिजवावें। प्राथमिक डिक्री प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगूं को भिजवाई जाती है।

उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूं के पत्र क्रमांक/राजस्व(कोर्ट)/2024/914 दिनांक 24.12.2024 से फर्द बंटवारा इस न्यायालय को भिजवाई गई जिस पर वकील वादी एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को सही होना स्वीकार करते हुए दावा अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया है। फर्द

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

...वारा रिपोर्ट अनुसार दावा वादी का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाने योग्य ...सा जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा बीलिया पटवार हल्का माधोपुर की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:–

<u>वादीया</u>

1– श्रीमति कविता पति शंम्भूलाल मीणा सा. बोबलाखुर्द देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
22 मेसे	–74	चाही3	5.57
		–30	
		जाद3	
		–44	4.09
25मेसे	–91	बंजड	1.68
कीता– 02	1.65 हैक्टर		11.34

<u>प्रतिवादी</u>

श्री कन्हैयालाल पुत्र देराम 1/4 कालीबाई 1/4 नारूबाई 1/4 पुत्री देराम, जमनीबाइ पति देराम 1/4 भील सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
22 मेसे	–02	चाही3	–38
		–02	
23	–90	चाही3	2.79
		–15	
		जाद3	6.98
		–75	
24 मेसे	–71	बंजड	1.31
25 मेसे	–02	बंजड	–04
कीता– 02	1.65 हैक्टर		11.50

<u>वादीया</u>

1– श्रीमति कविता पति शंम्भूलाल मीणा सा. बोबलाखुर्द देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
24 मेसे	–03	बंजड (रास्ते हेतू)	–06
कीता– 01	0.03 हैक्टर		–06

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 22.05.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूं

मूलवाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चित्तौडगढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

दावा संख्या :– 75/2023

कविताबाई पिता देराम जी जाति भील निवासी निलिया का माल तह0 बेगूँ

वादीया

बनाम

1 कन्हैयालाल पिता देराम जाति भील निवासी नीलिया का माल तह0 बेगूँ

2 कालीबाई पुत्री देराम जाति भील निवासी नीलिया का माल तह0 बेगूँ हा.मु. पति रतनलाल भील निवासी अमरथुना तह0 बेगूँ

3 नारूबाई पुत्री देराम जाति भील निवासी नीलिया का माल तह0 बेगूँहा.मु. पति जगदीशचन्द्र भील निवासी उमरथुना तह0 बेगूँ

4 जमनीबाई पत्नी स्व.देराम जी भील निवासी निलिया का माल तह0 बेगूँ

5 श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूँ

6 श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय प्रतिनिधि राजस्थान सरकार चित्तौडगढ

प्रतिवादीगण

वादीया की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार शर्मा की उपस्थिति में तथा प्रतिवादी अधिवक्ता श्री ....की अनुपस्थिती में वाद अ.धा .53–88 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 22.05.2025 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष प्राथमिक निपटारे हेतु उपस्थित होने से वादीया का वादपत्र सिद्ध होने से स्वीकार किया जाता है तथा निम्न. प्रकार से प्राथमिक डिकी किया जाने का आदेश दिया जाता है:–

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिकी किया जाता है, मौजा नीलिया पटवार हल्का माधोपुर की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:–

वादीया

1– श्रीमति कविता पति शंम्भूलाल मीणा सा. बोवलाखुर्द देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
22 मेसे	–74	चाही3	5.57
		–30	
		जाद3	
		–44	4.09
25मेसे	–91	बंजड	1.68
कीता– 02	1.65 हैक्टर		11.34

प्रतिवादी

श्री कन्हैयालाल पुत्र देराम 1/4 कालीबाई 1/4 नारूबाई 1/4 पुत्री देराम, जमनीबाइ पति देराम 1/4 भील सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
22 मेसे	–02	चाही3	–38
		–02	
23	–90	चाही3	2.79
		–15	
		जाद3	6.98
		–75	
24 मेसे	–71	बंजड	1.31
25 मेसे	–02	बंजड	–04

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौडगढ)

कीता— 02	1.65 हैक्टर	11.50

वादीया

1— श्रीमति कविता पति शंम्भूलाल मीणा सा. बोबलाखुर्द देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
24 मेसे	—03	बंजड (रास्ते हेतू)	—06
कीता— 01	0.03 हैक्टर		—06

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 22.05.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।.

(मनस्वी नरेश)
(सहायक कलक्टर)
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

क्रमांक / सरिश्ता / 2025/387 दिनांक ::—30-5-25

दावा संख्या 75 / 2023 व अनवान कविताबाई बनाम कन्हैयॉलाल वगै. वाद अ.धा. 53—88 आर.टी. एक्ट में जारी अंतिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जाती है।

सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ